



चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 05.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बुलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एण्टी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 05.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों, होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक-05.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया। बैंक में लगे अलार्म/सायरन, सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी। परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कुंवर प्रखर सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र रमेश निवासी ग्राम सेहकट मजरा कोटा कण्डैला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध देशी शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कुंवर प्रखर सिंह थाना मानिकपुर

2. आरक्षी अजीजउद्दीन

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार, उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह हमराह आरक्षी रणवीर सिंह द्वारा मु0नं0 817/2011 अ0सं0 4677/2010 धारा 420,467,468 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रामचरित यादव पुत्र सूरजपाल उर्फ जोधा निवासी भैरहा पुरवा भैसौधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री जुबैर खां थाना रैपुरा मय हमराह आरक्षी अशोक कुमार पाल मु0नं0 123/2009 धारा 323/504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त बालकेश पुत्र सुरेश निवासी लोधौरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). आज दिनांक 05.05.2025 को माननीय प्रभारी राज्यमंत्री एवं सेवानियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार श्री मन्मूलाल कोरी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री महेन्द्र कोटार्य, कोआपरेटिव अध्यक्ष चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री पंकज अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव, जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जीएन एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट भवन सोनेपुर परिसर में यातायात पुलिस को एसी हेलमेट, पानी की बोतल देकर इण्टर सेक्टर दो पहिया वाहन को हरी झण्डी दिखाई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने यातायात पुलिस कर्मियों को हेलमेट व सीटबेल्ट लगा कर वाहन चलाने, मोटर साइकिल में तीन सवारी ना बैठाना, हाई स्पीड वाहन न चलाना व वाहनों के शीशों में काली फिल्म न लगाने तथा उससे हो रही दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में जागरूक किया गया। दक्षता एवं तकनिक के साथ जनता की सेवा करने, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए बताया गया।

